

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: हरि मोहन मीना, I.A.S.

प्रकरण संख्या -10/2010 (प्रार्थना पत्र)

जी.सी.एम.एस नं०- 2010/00013

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा।

—प्रार्थी.

बनाम

रामप्रसाद आत्मज रामपाल जाति बैरवा निवासी कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—अप्रार्थी.

उपस्थित—

1. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक -27/06/2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी आवंटी को ग्राम कसार स्थित खसरा नम्बर 1539 मि. में से रकबा 0.65 हे० भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत दिनांक 20.7.2002 को आवंटन किया गया था, उक्त आवंटन के विरुद्ध शिकायत होने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि की आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा जारी उद्घोषणा में खसरा नम्बर 1539 मि. के साथ साथ ख०नं० 617 मि., 632, 654, 1427, 1480, 1541, के आगे 'उद्योग हेतु प्रस्तावित' अंकित किया जाने पर तथा उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु मार्गदर्शन चाहने पर जिला कलेक्टर कोटा द्वारा उक्त भूमि उद्योग हेतु प्रस्तावित होने से आवंटन पर रोक लगाने के बाद भी अप्रार्थी के हक में आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन अति० जिला कलेक्टर कोटा की जांच रिपोर्ट दिनांक 21.12.2002 के आधार पर न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 28/2002 निर्णय दिनांक 25.01.2003 से निरस्त किया गया।
2. उक्त आदेश दिनांक 25.01.2003 के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की गई, राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.11.2005 से अपील खारिज की जाकर न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 25.01.2003 बहाल रखा गया।
3. राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय के विरुद्ध अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील संख्या एलआर/6040/2005/ निर्णय दिनांक 05.10.2009 से अपील आंशिक स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 17.11.2005 एवं जिला कलेक्टर कोटा का निर्णय दिनांक 25.1.2003 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है कि वह उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा जारी की गयी उद्घोषणा से सम्बन्धित मूल पत्रावली एवं अपीलार्थी के आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए यह पुनः विचार करेंगे कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जो रिपोर्ट दी है वह उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप अथवा विपरीत दी है तथा वास्तव में अपीलार्थी को जो आराजी आवंटित हुई है वह आवंटन नियमों एवं सार्वजनिक हित के विपरीत आवंटित की गई है एवं क्या वास्तव में आवंटित वादग्रस्त आराजी को उद्घोषणा जारी करने से पूर्व अन्य प्रयोजनार्थ आरक्षित रखी गयी थी अथवा नहीं और यदि रखी गयी थी तो क्या वर्तमान में भी ऐसे आरक्षण की सार्थकता एवं आवश्यकता है



जिला कलेक्टर
कोटा

अथवा नहीं तथा क्या अपीलार्थी को विवादित आराजी निष्पक्ष एवं विधि सम्मत तरीके से आवंटित हुई थी अथवा नहीं ? इन बिन्दुओं पर विधि सम्मत तरीके से विचार कर नये सिरे से नियमानुसार निर्णय पारित करेंगे ।

4. प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर दिनांक 12.04.2010 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर उपस्थित । सम्बन्धित आवंटन पत्रावली एवं उद्घोषण की मूल पत्रावली तलबी हेतु तहसीलदार लाडपुरा एवं उपखण्ड अधिकारी को कई पत्र प्रेषित किये गये, किन्तु उक्त पत्रावलियां उपलब्ध नहीं हो सकी किन्तु ग्राम कसार में हुए आवंटन से सम्बन्धित शिकायत की अति० जिला कलक्टर कोटा द्वारा की गई जांच की पत्रावली प्राप्त हुई जिसमें उद्घोषणा की फोटो प्रतियां संलग्न है ।
5. तहसीलदार लाडपुरा से वर्तमान कब्जा सम्बन्धी मौका रिपोर्ट रेकार्ड के साथ प्राप्त की गई । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने पत्रांक/4016 दिनांक 13.5.2022 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी रामप्रसाद को दिनांक 20.7.2002 को ग्राम कसार के ख०नं० 1539 मी. रकबा 4.90 हे० भूमि किस्म बंजड में से 0.65 हे० भूमि का आवंटन किया गया था भूमि आवंटन सम्बन्धी उद्घोषणा उपखण्ड अधिकारी कोटा के पत्रांक ए/आवंटन/24-34 दिनांक 2.7.2002 को जारी की गई थी । दिनांक 2.7.2002 को जारी उद्घोषणा के क्रम सं० 110 पर ख०नं० 1539/2 के समक्ष उद्योग हेतु प्रस्तावित शब्द अंकित है । मुताबिक राजस्व रिकार्ड वर्तमान में ग्राम कसार के ख०नं० 1539 मि. तीन भागों में विभक्त है, खसरा नं० 1539, 1795/1539, 1796/1539 दर्ज रिकार्ड है खसरा नं० 1539 रकबा 1.25 हे० भूमि किस्म बरानी तृतीय खातेदार गुलाबबाई पत्नि चन्दालाल जाति रेगर दर्ज रिकार्ड है । खसरा नम्बर 1795/1539 रकबा 0.80 हे० भूमि किस्म बरानी तृतीय खातेदार काजल मित्तल पत्नि उपवन मित्तल जाति महाजन निवासी सूदनवासी 98 तिलक नगर कोटडी कोटा दर्ज रिकार्ड है । इसी प्रकार खसरा नम्बर 1796/1539 कबा 4.90 हे० भूमि किस्म गै०मु० चारागाह दर्ज रिकार्ड है जो उक्त भूमि श्रीमान जिला कलक्टर कोटा के आदेश क्रमांक प. 10(17)राजस्व-111/03/1126-30 दिनांक 30.01.2003 से किस्म परिवर्तन करते हुए चारागाह दर्ज किये जाने के आदेश पर नामा० सं० 604 दिनांक 30.01.2003 से चारागाह दर्ज रिकार्ड की गई । ग्राम कसार के खसरा नं० 1539 रकबा 1.25 हे० भूमि पर खातेदार गुलाब बाई पत्नि चन्दालाल जाति रेगर द्वारा काश्त की जाती है । ख०नं० 1795/1539 रकबा 0.80 हे० भूमि पर खातेदार काजल मित्तल द्वारा काश्त नहीं की जा रही है । इसी प्रकार ख०नं० 1796/1539 रकबा 4.90 हे० किस्म गै.मु. चारागाह में से 1.00 भूमि पर रामप्रसाद द्वारा काश्त की जा रही है किन्तु भूमि की किस्म गै.मु. चारागाह होने से आवंटन संबंधित समस्त कार्यवाही अवैधानिक एवं नियमान्तर्गत नहीं है । खसरा सं० 1539 से 680 मीटर की दूरी पर गोयल वेज ऑयल्स उद्योग स्थित /संचालित है । ख०नं० 1795/1539 से 840 मीटर की दूर पर एवं 1796/1539 से 640 मीटर की दूरी पर गोयल वेज ऑयल्स लि० उद्योग स्थित /संचालित है । खसरा नम्बर 1796/1539 रकबा 4.90 हे० भूमि किस्म गै.मु. चारागाह में से 1.00 हे० भूमि पर आवंटी रामप्रसाद द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है किन्तु भूमि की किस्म गै०मु० चारागाह होने से आवंटन सम्बन्धित समस्त कार्यवाही अवैधानिक है ।
6. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम कसार में स्थित भूमियों का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पत्रांक/पीए/आवंटन/24-33 दिनांक 2.7.2002 को उद्घोषण जारी की गई थी तथा आवंटन हेतु उपलब्ध भूमियों की सूची उद्घोषण के संलग्न की गई थी जो पटवारी हल्का द्वारा हस्तलिखित थी उक्त सूची में खसरा नम्बर 1539 मि. के आगे "उद्योग हेतु प्रस्तावित" लिखा हुआ था जिस कारण जांच अधिकारी अति० जिला कलक्टर कोटा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में यह माना है कि उक्त लिखावट "उद्योग हेतु प्रस्तावित" के कारण अप्रार्थी के अलावा अन्य लोगों ने उक्त खसरा नम्बर के आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया, इसके बाद भी आवंटन कमेटी द्वारा उक्त लिखावट को नजर अंदाज कर गलत तरीके से आवंटन कर दिया उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही दूषित होने से निरस्त योग्य ही है । तहसीलदार लाडपुरा की वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 13.05.2022 अनुसार मौके




Signature
जिला कलक्टर
कोटा

पर खसरा नम्बर 1796/1539 जो कि गै0मु0 चारागाह में से 1.00 अप्रार्थी आवंटी रामप्रसाद द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है । किन्तु भूमि की किस्म गै0मु0 चारागाह होने से आवंटन सम्बन्धित समस्त कार्यवाही अवैधानिक है ।

7. वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी को कृषि कार्य के लिए उक्त भूमि का आवंटन नियमानुसार उद्घोषणा जारी की जाने पर आवंटन कमेटी द्वारा किया गया था, उक्त भूमि जांच के दौरान उद्घोषण में पटवारी हलका द्वारा खसरा नम्बर 1539 के समक्ष उद्योग हेतु प्रस्तावित लिखा जाने मात्र से जांच अधिकारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर आवंटन निरस्त किया गया है, उक्त भूमि वर्तमान में भी अप्रार्थी के कब्जे में है । उक्त भूमि पर एवं आस पास आज भी कोई उद्योग नहीं है अपितु आस पास कृषि कार्य हो रहा है तथा आवंटित भूमि पर अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त किया जा रहा है जिसकी पुष्टि तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट 13.5.2022 से होती है । अतः राजस्व मण्डल अजमेर के रिमाण्ड के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को किया गया आवंटन पुनः बहाल फरमाया जावे ताकि भूमि पर कृषि कार्य किया जा सके । अतः प्रार्थना है कि आवंटन आराजी वाके कसार स्थित 10नं0 1539 में से रकबा 0.65 हे0 को प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश प्रदान करें ।
8. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, एवं पत्रावली का अवलोकन किया । राजस्व मण्डल के रिमाण्ड के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया । चूंकि ग्राम कसार में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा क्रमांक/पीए/आवंटन/24-34 दिनांक 2.7.2002 से उद्घोषणा जारी की गई, उक्त उद्घोषणा में आवंटन हेतु उपलब्ध भूमियों का विवरण अंकित नहीं था अपितु उद्घोषणा के साथ हस्तलिखित सूची संलग्न की गई थी, उक्त उद्घोषणा की सूची में उक्त खसरा नम्बर 1539 के समक्ष "उद्योग हेतु प्रस्तावित" अंकित किया हुआ था, नियमानुसार उद्घोषणा मय सूची का प्रकाशन सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाशन कराया गया । किन्तु उक्त आवंटन के आवंटन नियमन कमेटी द्वारा उक्त उद्घोषणा एवं सूची को नहीं देखा गया, बिना उद्घोषणा की सूची को देखे ही उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी के हक में कर दिया गया । नियमानुसार तो उसी भूमि की उद्घोषणा होनी चाहिए जो निर्विवाद हो, धारा 16 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि नहीं हो, तथा भूमि अन्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित या प्रस्तावित नहीं हो, यहां इस प्रकरण में पटवारी हलका द्वारा दी गई सूची में उपखण्ड अधिकारी द्वारा उद्घोषणा सूची में "उद्योग हेतु प्रस्तावित" लिखने के बाद भी आवंटन नियमन कमेटी द्वारा आवंटन कर दिया । जिसकी शिकायत होने पर अति0 जिला कलक्टर कोटा से ग्राम कसार में हुए आवंटन की जांच कराई गई । अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा जांच कर विस्तृत जांच रिपोर्ट अर्द्धशासकीय पत्रांक/पीए/एडीएम/2002/861 दिनांक 21.12.2002 को पेश की गई । जांच रिपोर्ट में तथ्य सामने आए हैं कि उपखण्ड अधिकारी कोटा ने अपने पत्र क्रमांक/पीए/आवंटन/24-34 दिनांक 2.7.2002 द्वारा पटवार मण्डल कसार के ग्राम कसार एवं रानक्याखेडी की भूमि आवंटन हेतु उद्घोषणा जारी की थी, जिसमें अन्य नम्बरों के साथ साथ खसरा नम्बर 617, 632, 635, 654, 1427, 1475, 1480, 1539, एवं 1541 की भी उद्घोषणा जारी की गई जनके सामने उद्योग हेतु प्रस्तावित लिखा हुआ था, इन नम्बरों के बाबत उपखण्ड अधिकारी कोटा ने अपने पत्रांक/पीए/1316 दिनांक 1.6.2002 को जिला कलक्टर कोटा को पत्र लिखकर मार्गदर्शन चाहा था कि इन नम्बरों का आवंटन किया जावे अथवा नहीं? क्योंकि ये नम्बर औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने बाबत प्रस्ताव भेजे गये हैं । उपखण्ड अधिकारी कोटा के उपरोक्त पत्र के प्रत्युत्तर में जिला कलक्टर कोटा के कार्यालय पत्रांक प.2(2क)(9)राज0/मु0/11/02/4382 दिनांक 15.6.2002 द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया कि उपरोक्त भूमियों के आरक्षण की कार्यवाही जेरकार है, अतः आगामी आदेश तक इन भूमियों का आवंटन नहीं किया जावे । इस प्रकार आवंटन पर रोक लगाने के बावजूद भी इन ख0नं0 को उद्घोषणा में सम्मिलित कर लिया गया । जिन खसरा नम्बरान के सामने 'उद्योग हेतु प्रस्तावित' लिखा होने से उन खसरा नम्बरान के बारे में अन्य पात्र व्यक्तियों में यह भ्रम हो गया कि इन खसरा नम्बरान का आवंटन नहीं होना है ऐसे में इन खसरा नम्बरान के आवेदन अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जा सके ओर अप्रार्थी को बिना जांचे नियम विरुद्ध




ज्योती कुलकर्णी
कोटा

आवंटन भी कर दिया गया जबकि अप्रार्थी को आवंटित भूमि (उद्योग हेतु प्रस्तावित लिखा जाने से) आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी, ऐसे में हमारा मानना है कि जिन खसरा नम्बरान के आगे "उद्योग हेतु प्रस्तावित" लिखा हुआ था वह खसरा नम्बर उद्घोषणा का हिस्सा ही नहीं माने जा सकते, फिर भी आवंटन उद्घोषणा में संलग्न सूची में प्रतिबन्धित खसरा नम्बरान जो उद्योग हेतु प्रस्तावित लिखा होने के बावजूद आवंटन कर दिये गये। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि आवंटन पर रोक होने तथा भूमि के उद्योग हेतु प्रस्तावित होने के कारण इन खसरा नम्बरों को उद्घोषणा में सम्मिलित नहीं करना चाहिए था एवं न ही आवंटन करना चाहिए था। अतः किया गया यह आवंटन अवैध एवं गलत है। ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी अति० जिला कलक्टर कोटा की जांच रिपोर्ट से हम सहमत हैं।

राजस्व मण्डल अजमेर के रिमाण्ड के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए हमने तहसीलदार लाडपुरा से कब्जा एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट एवं रेकार्ड तलब किया गया। तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट पत्रांक/4016 दिनांक 13.5.2022 अनुसार अप्रार्थी आवंटी को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1796/1539 रकबा 4.90 हे० में से 0.65 हे० भूमि किस्म गै०मु० चारागाह दर्ज रेकार्ड है जो कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक प. 10(17) राजस्व- 111/ 03/ 1126-30 दिनांक 30.01.2003 से किस्म परिवर्तन करते हुए चारागाह दर्ज किये जाने के आदेश पर नामा० सं० 604 दिनांक 30.01.2003 से चारागाह दर्ज रेकार्ड की गई। ख०नं० 1796/1539 रकबा 4.90 हे० किस्म गै.मु. चारागाह में से 1.00 भूमि पर रामप्रसाद द्वारा काश्त की जा रही है किन्तु भूमि की किस्म गै.मु. चारागाह होने से तथा उक्त भूमि आवंटन हेतु उद्घोषणा का हिस्सा नहीं होने के उपरान्त भी आवंटन किया जाने अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही आवंटन संबंधित समस्त कार्यवाही अवैधानिक एवं नियमान्तर्गत नहीं होने है एवं किया गया आवंटन दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

9. परिणामतः उपरोक्त विवेचनानुसार ग्राम कसार में अप्रार्थी आवंटी के हक में किये गये आवंटन खसरा नम्बर 1539 मि. की उद्घोषणा के वक्त उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा जारी उद्घोषणा क्रमांक/पीए/आवंटन/24-34 दिनांक 2.7.2002 में आवंटन हेतु उपलब्ध भूमियों की सूची में क्र०सं० 110 पर अंकित खसरा नम्बर 1539मि. कुल रकबा 4.90 हे० के अतिरिक्त ख०नं० 617, 632, 654, 1427, 1480, 1541 के सामने उद्योग हेतु प्रस्तावित की जाने, तथा उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा उक्त खसरा नम्बरान के आवंटन हेतु जिला कलक्टर कोटा को पत्र क्रमांक/पीए/1316 दिनांक 1.6.2002 प्रेषित कर मार्गदर्शन चाहा था जिस पर जिला कलक्टर कोटा के कार्यालय पत्रांक प.2 (2क) (9) राज०/ मु०/ 11 /02/4382 दिनांक 15.6.2002 द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि उपरोक्त भूमियों के आरक्षण की कार्यवाही जेरकार है, अतः आगामी आदेश तक इन भूमियों का आवंटन नहीं किया जावे इसके बाद भी अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है। इसके साथ ही तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1539 से 680 मीटर एवं ख०नं० 1795/1539 से 840 मीटर की दूरी पर गोयल वेज ऑयल्स उद्योग स्थित /संचालित है तथा कार्यालय जिला कलक्टर कोटा के आदेश दिनांक 10.01.2003 से चारागाह दर्ज किये जाने के आदेश होने से नामा० सं० 604 दिनांक 30.01.2003 से किस्म चारागाह दर्ज रेकार्ड है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 से प्रभावित होने से आवंटन योग्य नहीं है। अतः अप्रार्थी रामप्रसाद पुत्र रामपाल बैरवा निवासी कसार के हक में दिनांक 20.07.2002 को ग्राम कसार स्थित खसरा नम्बर 1795/1539 रकबा 4.90 हे० में से 0.65 हे० भूमि का किया गया आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)

जिला कलक्टर, कोटा

जिज्ञा कलक्टर

कोटा